HARYANA GOVERNMENT

AMINAL HUSBANDRY AND DAIRYING DEPARTMENT

Notification

The 20th February, 2013

No. 130-AH-4-2013/1891.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section (2) of Section 17 of the Haryana Murrah Buffalo and Other Milch Animal Breed (Preservation and Development of Animal Husbandry and Dairy Development Sector) Act, 2001 (6 of 2001), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Murrah Buffalo and Other Milch Animal Breed Rules, 2002, namely:—

1. These rules may be called the Haryana Murrah Buffalo and Other Milch Animal Breed (Amendment) Rules, 2013.
2. In the Haryana Murrah Buffalo and Other Milch Animal Rule, 2002, in rule 8, in the first proviso to Sub-rule (4), for the words "that ten" the words "than twenty" shall be substituted.

P. K. DAS,
Principal Secretary to Government Haryana,
Animal Husbandry and Dairying Department.

हरियाणा सरकार

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिनांक 20 फरवरी, 2013

संख्या 11/6/2011-4 श्रम.—कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63), की धारा 66 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा मैसर्ज होलीस्टर मैडीकल इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट नं० 27, सैक्टर 5, फेस 2, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम, ग्रोथ सैंटर बावल, जिला रिवाड़ी के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 66 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) में अभिकथित सीमाओं को परिवर्तित करते हैं ताकि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए सायं 7.00 बजे तथा रात्रि 10.00 बजे के बीच महिला कर्मकारों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए नियोजन प्राधिकृत किया जा सके अर्थात् :—

1. किसी भी महिला कर्मकार से रात्रि 10.00 बजे और प्रात: 6.00 बजे के बीच कारखाने में कार्य करने की अपेक्षा नही की जाएगी और न ही उसे अनुमति दी जाएगी।
2. किसी भी महिला कर्मकार से किसी भी दिन नौ घण्टे से अधिक और किसी सप्ताह में अड़तालीस घण्टों से अधिक काम करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे अनुमति नहीं दी जाएगी।
3. किसी महिला कर्मकार को, जो शिफ्ट की समाप्ति रात्रि 10.00 बजे तक के बीच कारखाने में काम करने से इन्कार करती है, को केवल इस कारण से नियोजन से नहीं हटाया जाएगा।
4. किसी भी महिला कर्मकार को दूसरी शिफ्ट में कार्य करने के लिए अकेली नहीं लगाया जाएगा।
5. डाक्टर तथा महिला नर्स लगाते हुए, दूसरी शिफ्ट में महिला कर्मकारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
6. महिला कर्मकारों के साथ उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें लाने और वापस ले जाने वाली प्रत्येक वाहन पर महिला सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करवाएगा।
7. अधिष्ठाता, महिला कर्मकारों के बच्चों के उपयोग के लिए क्रैच का प्रावधान तथा रख-रखाव करेगा।
8. साप्ताहिक अवकाश के बाद महिला कर्मकारों की शिफ्ट बदल देनी होगी।
9. कम्पनी महिला कर्मकारों को उनके निवास स्थान से कारखाने तक लाने और और ले जाने के लिए मुफ्त परिवहन सुविधा की व्यावस्था करेगी जिन्हें रात्रि 10.00 बजे तक दूसरी शिफ्ट में बुलाया जाता है।
10. प्रबन्धक, महिला कर्मकारों के लिए कारखाना कैन्टीन में खाने की व्यवस्था करेगा ताकि महिला कर्मकार दूसरी शिफ्ट के दौरान भोजन कर सकें।
11. प्रबन्धक, विशाखा तथा अन्य बनाम राजस्थान सरकार के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए न्याय निर्णय दिनांक 13 अगस्त, 1997, (ए०आई०आर० 1997 सर्वोच्च न्यायालय-3011) में महिलाओं के कार्य स्थल पर उनके यौन उत्पीड़न की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

पी० के० गुप्ता,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम एवं रोजगार विभाग।